



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221487
CG-DL-E-01092020-221487

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]
No. 436]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 1, 2020/भाद्र 10, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 1, 2020/BHADRA 10, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2020

सं. 65/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 542(अ).—सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना सं. 35/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में, खंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा, जो मार्च, 2020 के 20वें दिन से नवंबर, 2020 के 29वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, को उक्त अधिनियम की धारा 171 के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरा

करना या अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं किया गया है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा नवंबर, 2020 के 30वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी।”।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/07/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. 35/2020—केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235(अ), तारीख 3 अप्रैल 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) सं. 55/2020—केंद्रीय कर, तारीख 27 जून 2020 में, संख्यांक सा.का.नि. 416(अ), तारीख 27 जून 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2020

No. 65/2020—Central Tax

G.S.R. 542(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i), the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that where, any time limit for completion or compliance of any action, by any authority, has been specified in, or prescribed or notified under section 171 of the said Act, which falls during the period from the 20th day of March, 2020 to the 29th day of November, 2020, and where completion or compliance of such action has not been made within such time, then, the time-limit for completion or compliance of such action, shall be extended up to the 30th day of November, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/07/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and was last amended by notification No. 55/2020—Central Tax, dated the 27th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 416(E), dated the 27th June, 2020.